

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1525/2008

1. राजस्थान राज्य, आबकारी आयुक्त, उदयपुर, राजस्थान के माध्यम से
2. जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ़

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर
2. श्री कृष्ण कड़वासरा पुत्र स्व. चुन्नीराम कड़वासरा, रामपुरा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री भरत व्यास, एएजी,
श्री जय वर्धन जोशी के साथ

उत्तरदाता(ओं) के लिए :

माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

21/02/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका राजस्व मंडल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पारित दिनांक 24.03.2007 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि जिला आबकारी अधिकारी, गंगानगर (संक्षेप में 'डीईओ') ने 10.05.2004 को आबकारी आयुक्त को एक पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि 09.05.2004 को श्रीगंगानगर में कालू सिंधी के घर से 240 क्वार्टर देशी शराब से भरे तीन प्लास्टिक बैग बरामद किए गए। बरामद शराब हनुमानगढ़ जिले में बिक्री के लिए थी। प्राप्त सूचना के आधार पर, लाइसेंसधारी (उत्तरदाता संख्या 2) को लाइसेंस शर्त संख्या 6.9.3 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब दिया गया और 05.08.2004 के आदेश के तहत एक अन्य शराब समूह के क्षेत्र में शराब की तस्करी के लिए 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। उत्तरदाता संख्या 2 बोर्ड के समक्ष अपील में सफल रहा। जुर्माना रद्द कर दिया गया, इसलिए यह याचिका।

3. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि बोर्ड ने साक्ष्यों पर विचार किए बिना ही दंड को रद्द कर दिया। श्रीगंगानगर में एक घर से शराब बरामद हुई थी, यह शराब हनुमानगढ़ जिले में बिक्री के लिए थी और उत्तरदाता संख्या 2 हनुमानगढ़ जिले में शराब बेचने का लाइसेंसधारी था।
4. अधिवक्ता को सुना और दलीलों का अवलोकन किया।
5. कानून में यह सुस्थापित है कि दंड तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि पक्षकार ने जानबूझकर कानून का उल्लंघन न किया हो या वह अवज्ञाकारी या बेईमान आचरण का दोषी न हो। इस संबंध में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य मामले में 25 एसटीसी 211 में उल्लेख किया गया है।
6. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजा गया पत्र इस बात की पुष्टि नहीं करता था कि उत्तरदाता संख्या 2 ने श्रीगंगानगर में शराब का परिवहन या आपूर्ति की थी। कालू सिंधी और उत्तरदाता संख्या 2 के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। शराब उत्तरदाता संख्या 2 के पीछे से बरामद की गई थी। कालू सिंधी, जिसके पास से शराब बरामद हुई थी, के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। जुर्माना अनुमान और अटकलों पर आधारित था।
7. बोर्ड द्वारा रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप हेतु पारित आदेश में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सिंपल कुमावत /15

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate